

राजस्थान सरकार  
गृह विभाग

क्रमांक : प. 33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक: 04.04.2020

आदेश

विषय:- दिनांक 26.03.2020 के लॉक डाउन आर्डर के स्पष्टीकरण के क्रम में।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर पूर्व में जारी दिशा निर्देश बाबत लॉक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधियों को स्पष्ट किया जाता है:-

**1-आवश्यक वस्तुएं**

पूर्व में बताये गये आवश्यक वस्तुओं में दैनिक उपयोग के स्वच्छता उत्पाद जैसे हैंड वॉश, साबुन, बॉडी वॉश, शैंपू, क्रीम, पाउडर, टूथ पेस्ट/ ओरल केयर, सैनिटरी पैड, डायपर, कीटाणु नाशक, सतह क्लीनर, डिटर्जेंट शामिल होंगे। चार्जर और बैटरी सेल आदि और ऐसे सभी उत्पाद जो आमतौर पर किराने या प्रावधान स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार खाद्य उत्पादों में सभी प्रकार के खाद्य उत्पाद शामिल होंगे, जिसमें मसालों, मसालों, विभिन्न प्रकार के खाना पकाने के सॉस, पनीर (Cheese) आदि शामिल हैं।

उपरोक्त उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखला के साथ जुड़ी इकाइयों/प्रतिष्ठानों से संबंधित सभी गतिविधियों की अनुमति है जिसमें दुकानों या ई कॉमर्स/ होम डिलीवरी कंपनियों, विनिर्माण इकाइयों, गोदामों / वेयर हाउसिंग, परिवहन के साथ-साथ बिक्री के लिए आवश्यक कार्मिक शामिल हैं। गोदाम, लदान के लिए श्रमिक, परिवहन आदि की अनुमति है।

**2- होम डिलीवरी/ई-कॉमर्स कंपनियां**

आवश्यक वस्तुओं/ सामानों की आपूर्ति करने वाली सभी ई-कॉमर्स/ होम डिलीवरी कंपनियों को अनुमति दी जाती है। इसमें उनके कार्यालय, वेयर हाउस और होम डिलीवरी करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।

**3- आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि)**

i- सभी आयुष सेवाएं- दवाईयों की बिक्री और वितरण अस्पताल के औषधालयों, व्यक्तिगत चिकित्सालयों और टेलीमेडिसिन सुविधायें।

ii - आयुष दवाओं का निर्माण और आपूर्ति श्रृंखला जिसमें कच्चे माल और पैकेजिंग शामिल हैं।

#### 4- कृषि और उद्यानिकी

सभी गतिविधियाँ- प्रत्यक्ष और संबंधित- अनुमत  
इनमें ये भी शामिल हैं:

- i- किसी भी कृषि या बागवानी से संबंधित वस्तुओं जैसे बीज, उर्वरक, पेस्टीसाइड्स, कृषि उपकरण, और आपूर्ति श्रृंखला की अन्य वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें।
- ii - स्पेयर पार्ट्स और कृषि मशीनरी एवं उपकरण और उपकरणों की मरम्मत की दुकानें।
- iii - कृषि मशीनरी एवं उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और आपूर्ति श्रृंखला के सभी सामानों का निर्माण।
- iv - उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की आपूर्ति और पैकेजिंग इकाइयाँ, आपूर्ति श्रृंखला, कच्चे माल और इनकी मध्यवर्ती से संबंधित इकाइयाँ।
- v - कृषि श्रमिक सहित सभी कटाई और खेती के कार्य / गतिविधियाँ (इस संबंध में पृथक से जारी दिशा-निर्देश)

#### 5- पशुपालन, डेयरी आदि।

सभी गतिविधियाँ- प्रत्यक्ष और संबंधित- अनुमत  
इनमें ये भी शामिल हैं:


- i - पशु चिकित्सा दवाएं, क्लीनिक और अस्पताल आदि।
- ii - चारा, पशु चारा (पशु आहार) या मुर्गी चारा डिपो बेचने वाली दुकानें और उससे जुड़े अन्य आउटलेट्स।
- iii- मधुमक्खी पालन
- iv- मवेशी और मुर्गी पालन के लिए सभी विनिर्माण इकाइयाँ कच्चे माल, पैकेजिंग और अन्य सभी जो आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं।
- v - डेयरी- चारा, दूध उत्पादन, परिवहन, वितरण और बिक्री आदि के लिए आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की सभी गतिविधियाँ।

#### 5- परिवहन:

- i - अंतर राज्य व राज्य के भीतर सभी ट्रक व मालवाहक वाहन एक चालक एवं एक अतिरिक्त व्यक्ति अनुमत।
- ii- अंतर राज्य व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त हार्वेस्टर (combined harvester) और अन्य कृषि व उद्यानिकी औजार (Implements)।
- iii- ट्रांसपोर्ट कंपनियों के कार्यालय / गोदाम / डिपो के लिए न्यूनतम कर्मचारी तथा लदान (Loading) / उतराई (Un-Loading) के लिए न्यूनतम श्रमिक।
- iv- विशेष रूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिए वर्कशॉप / दुकानें।
- v- विशेष रूप से राजमार्गों पर उचित दूरी पर ट्रकों के लिये टायर / पंचर रिपेयरिंग की दुकानें।


- vi- राजमार्गों पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे (जैसे- 40 किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ।
- vii- अधिकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा / मरम्मत केंद्र।
- viii - परिवहन वाहनों के लिए स्पेयर पार्ट्स की दुकानों की अनुमति।
- ix - गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार quarantine पूरा करने पर पारगमन यात्रा की व्यवस्था, भारत में विदेशी नागरिकों के लिए / विदेशों से लौटने वाले भारतीयों हेतु ।

ऐसी सभी अनुमत गतिविधियों के लिए संगठनों / मालिकों / नियोक्ताओं को Covid-19 वायरस के खिलाफ आवश्यक सावधानी के साथ ही आवश्यक स्वच्छता और सामाजिक दूरी के उपाय, समय-समय पर दी गई सलाह सुनिश्चित की जानी चाहिए।

  
(राजीव स्वरूप)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज / उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर / जोधपुर।
7. आयुक्त एवं सचिव, परिवहन, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को इस निर्देश के साथ कि जिला प्रशासन के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को उक्त आदेश की प्रति भिजवायें।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त जयपुर / जोधपुर।
10. उप सचिव, मुख्य सचिव।

  
(पी. सी. बरवाल)  
विशिष्ट शासन सचिव

